

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक 290 / मानि / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.

भोपाल दिनांक 17.05.2002

// आदेश //

नलकूपों के निर्माण एवं पंप स्थापना से संबंधित कार्यो हेतु बनाई गई नवीन एकीकृत दर अनुसूची को दिनांक 17 मई 2002 से पूरे प्रदेश के लो स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में प्रभावशील किया जाता है। इस कार्य हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधीक्षण यंत्रियों द्वारा पूर्व में जारी सभी दर अनुसूचियां तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

नलकूप निर्माण एवं उससे संबंधित कार्यो हेतु दिनांक 17.05.2002 के पश्चात सभी प्राक्कलन नवीन जारी एकीकृत दर अनुसूची के आधार पर ही तैयार किए जावेंगे। नलकूपों के निर्माण एवं उससे संबंधित कार्यो हेतु दिनांक 17.05.2002 के पश्चात् सभी निविदाये उक्तानुसार एकीकृत दर अनुसूची के आधार पर ही आमंत्रित की जावेगी। नलकूपों के निर्माण एवं संबंधित कार्यो हेतु आयटम रेट के आधार पर निविदाये आमंत्रित किया जाना पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाता है।

ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
म.प्र. भोपाल

पृ. क्र. 290 / मानि / प्र.अ. / लो.स्वा.यां. विभाग
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक 17.05.2002

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश ।
3. समस्त अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश ।
4. समस्त कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश ।

सहपत्र :- नलकूप निर्माण के लिए जारी एकीकृत दर अनुसूची की प्रति

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
म.प्र. भोपाल